का प्रयत्न किया गया कि उनके भू-भाग पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किन्तु उन्हें अंग्रेजी शासन के प्रभाव में रखने का प्रयत्न किया गया। 1876 ई. में महारानी विक्टोरिया को 'भारतीय साम्राज्ञी' की उपाधि देने के पीछे भी यही उद्देश्य था। भारतीय रियासतों पर 'परम सत्ता का सिद्धान्त' थोपा गया।

(2) **फूट डालो व शासन करो की नीति**—1857 ई. के पश्चात् अंग्रेजों ने इस नीति का प्रयोग हिन्दू व मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए किया। बंगाल का विभाजन, 1909 ई. के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति को लागू करना आदि अनेक कार्य इसी उद्देश्य से किए गए थे।

(3) **शिक्षित भारतीयों के प्रति नीति**—शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, अतः उनके प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई गई।

(4) **जमींदारों के प्रति नीति**—अंग्रेजों ने जमींदारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाई। प्रान्तीय परिषदों में जमींदारों को प्रतिनिधित्व दिया गया व उन्हें उपाधियों से अलंकृत किया गया।

(5) **समाज सुधार के प्रति नीति**—1858 ई. के पश्चात् अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1872 ई. में एक कानून पारित किया जिसके द्वारा अन्तर्जातीय व अन्तर्साम्प्रदायिक विवाहों को मान्यता दे दी गई। 1891 ई. में एक अन्य कानून द्वारा बाल विवाह को प्रतिबन्धित कर दिया गया। 1928 ई. में शारदा एक्ट द्वारा विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई। 1937 ई. में हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकारी माना गया तथा हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश हेतु हरिजन पूजा एक्ट पारित हुआ। उपरोक्त दोनों अधिनियम महात्मा गांधी के प्रयत्नों से पारित किए गए थे। यहां पर उल्लेखनीय है कि इन कानूनों का कठोरता से पालन नहीं किया गया।

(6) **प्रेस के प्रति नीति**—भारत में आधुनिक रूप से छापेखाने को प्रारम्भ करने का श्रेय यद्यपि अंग्रेजों को है, किन्तु अपने शासन की सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाए। भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। 1878 ई. में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, किन्तु 1882 ई. में इसे वापस लेना पड़ा। 1905 ई. में स्वदेशी आन्दोलन के दौरान, पुनः प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 1908 एवं 1910 ई. में भी प्रेस पर कठोर कानून लादे गए। इसके उपरान्त भी समय-समय पर प्रेस का मुंह बन्द करने का प्रयास किया गया जिसका भारतीयों द्वारा घोर विरोध किया गया।

लॉर्ड लिटन (1876 ई.-1880 ई.)
(LORD LYTTON)

लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ई. तक भारत का गवर्नर रहा। उसके शासन काल में अग्रलिखित सुधार किए गए :

1876-77 ई. का भीषण अकाल तथा लिटन के कार्य—1876-77 ई. में भारत की जनता को एक भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। इसका प्रकोप मद्रास, बम्बई, हैदराबाद तथा मैसूर आदि प्रान्तों पर पड़ा, परन्तु इससे मध्य भारत तथा पंजाब के कुछ भाग भी न बचें सके। केवल ब्रिटिश भारत के ही लगभग 50 लाख व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बने। उस समय राजकीय सहायता व्यवस्था अपर्याप्त तथा असन्तोषजनक थी। अतः लिटन ने जनरल रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 ई. में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कालान्तर में अकाल को रोकने तथा उसका सामना करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। निश्चय किया गया कि भारत सरकार को अकाल की रोकथाम के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए न कि अकाल पड़ने पर ही उसका सामना करने की तैयारी की जाए। इसी उद्देश्य से एक '**अकाल सहायता कोष**' स्थापित किया गया तथा अकाल की रोकथाम के लिए अनेक रेलों, सड़कों तथा सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों तथा कुओं का निर्माण किया गया।

लिटन के काल में ही 1876 ई. में '**दिल्ली दरबार**' का आयोजन किया गया जिसमें देशी राजाओं तथा नवाबों के सम्मुख महारानी विक्टोरिया को '**भारत साम्राज्ञी**' की उपाधि से विभूषित किया गया। इस दरबार के आयोजन में पैसा पानी की तरह बहाया गया जिसके लिए इतिहासकारों ने उनकी कटु आलोचना की है। इसके अतिरिक्त 1878 ई. में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करके भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अब वे सरकार के विरुद्ध कोई भी समाचार नहीं छाप सकते थे। इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ। अतः चार वर्ष उपरान्त लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल में इसे समाप्त कर दिया।

आर्थिक सुधार—अपने कार्यकाल में लॉर्ड लिटन ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उसके इस कार्य में उसकी परिषद् के अर्ध सदस्य सर जान स्ट्रैची ने उसकी बहुत सहायता की। नमक कर में अनेक दोष थे। देश के विभिन्न भागों में इस टैक्स में अन्तर था। अतः देश के एक भाग से दूसरे भाग में नमक चोरी छिपे जाया करता था। इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। भारतीय रियासतों को नमक बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, परन्तु इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन दिया गया। इस प्रकार एक ओर तो सरकार की आय में वृद्धि हुई तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी छिपे नमक लाने की रोकथाम के लिए जो निगरानी करनी पड़ती थी तथा उस पर जो धन व्यय होता था, वह भी बच गया।

इसके साथ-साथ लॉर्ड लिटन ने स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1828 ई. में लगभग 39 वस्तुओं पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। 1879 ई. में

Scanned by CamScanner

घटिया प्रकार के सूती वस्त्रों से तथा बाद में सभी प्रकार के वस्त्रों पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मेयो द्वारा आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति को और अधिक गति प्रदान की गयी। 1877 ई. में प्रान्तों को एक निश्चित धनराशि के स्थान पर उन्हें आय का एक निश्चित भाग दिया जाना स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप अब प्रत्येक प्रान्त ने अपनी आय में वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया। इन आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप ही भारतीय सरकार द्वितीय अफगान युद्ध पर व्यय की गयी विशाल धनराशि को पुनः प्राप्त कर सकी।

शैक्षिक प्रगति—लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गयी। **सर सैय्यद अहमद खां की प्रेरणा पर इस कॉलेज की स्थापना की गयी थी।** सर सैय्यद अहमद द्वारा स्थापित यह मुस्लिम कॉलेज वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है।

वैधानिक नागरिक सेवा (1879 ई.)—1879 ई. में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना की। इस कार्य के लिए उसकी कटु आलोचना की गयी। इस नियम के अन्तर्गत निश्चित किया गया कि भारतीय नागरिक सेवा (Indian Civil Service) में छठवां भाग भारतीयों द्वारा भरा जाएगा। इन भारतीयों को स्थानीय सरकारों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए तथा इन्हें वायसराय की परिषद् एवं भारत-सचिव दोनों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को लन्दन जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गयी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिटन के इस कार्य की आलोचना करते हुए लिखा है, "**सम्पूर्ण भारत में यह विचार प्रकट किया गया कि भारतीय परीक्षार्थियों को इण्डियन सिविल सर्विस में स्थान न देने के लिए यह कदम जान-बूझकर उठाया गया है।**"

सम्भवतः भारत के वायसरायों में जितनी लॉर्ड लिटन की कटु आलोचना की गयी है उतनी किसी भी अन्य गवर्नर जनरल की नहीं की गयी। उसके द्वारा पारित '**वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट**' तथा '**भारतीय शस्त्र अधिनियम**' का दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया, जबकि उसके वैधानिक नागरिक सेवा नियम को जनता ने एक धूर्ततापूर्ण कार्य समझा। वास्तव में उसका प्रत्येक कार्य अंग्रेजों के हित में था। उसकी अफगान नीति निश्चित रूप से एक भारी भूल थी। लिटन ने भारतीय राजनीति में अनेक नवीन प्रयोग किए, किन्तु वे समय से पूर्व होने के कारण असफल रहे। यदि वे प्रयोग सफल हो गए होते तो उसकी गणना भी महान् गवर्नर जनरलों में हुई होती। इसी पर प्रकाश डालते हुए प्रो. एस. गोपाल ने लिखा है, "**लिटन की नीति केवल सफलता से ही प्रमाणित हो सकती थी, किन्तु लोगों को आश्चर्य है कि सफलता उसे मिली नहीं। उसने बिना ढाल के तलवार से युद्ध किया, जिसका मूल्य उसे चुकाना पड़ा।**"

लॉर्ड रिपन (1880 ई.- 1884 ई.)
(LORD RIPON)

लॉर्ड रिपन बड़ा ही उदार तथा सुधारवादी वायसराय था तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों में उसकी बड़ी रुचि थी। प्रजातन्त्र सरकार तथा स्वायत्त शासन का वह सच्चा समर्थक था और वह भारतीयों को भी इसकी शिक्षा देना चाहता था। वास्तव में यदि भारतीयों को किसी अंग्रेज वायसराय से स्नेह था तो वह लॉर्ड रिपन से था। 1880 से 1884 ई. तक वह भारत का वायसराय रहा। **वह प्रथम वायसराय था जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के समान ही अधिकार दिलाने का प्रयास किया।** इसी कारण वह भारत में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया।

लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार—लॉर्ड विलियम बैंटिंक की भांति लॉर्ड रिपन भी बड़ा सुधारवादी वायसराय था। वह भारतीयों का सच्चा हितैषी तथा शुभचिन्तक था और उन्हें वह सुखी तथा सम्पन्न बनाना चाहता था फलतः उसने अनेक ऐसे सुधार किए जिससे भारतीय जनता का बड़ा कल्याण हुआ। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं :

(1) **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना** (Repeal of Vernacular Press Act)—लॉर्ड लिटन ने अपने कार्यकाल में अनेक अन्यायपूर्ण तथा अनुचित कार्य किए थे। उसके इस प्रकार के कार्यों में एक कार्य 1878 ई. का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित करना भी था। लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए, परन्तु अंग्रेजी समाचार-पत्रों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया। भारतीयों ने इस एक्ट का घोर विरोध किया। सौभाग्य से लॉर्ड रिपन को भारतीयों से वास्तविक सहानुभूति थी, इसी कारण उसने 1882 ई. में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर सभी समाचार-पत्रों को समान रूप से स्वतन्त्रता प्रदान की, परिणामस्वरूप वह भारतीयों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गया।

(2) **स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना** (Development of Local Self Government)—**स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देना, लॉर्ड रिपन का एक महत्वपूर्ण कार्य था।** उसे ब्रिटिश सरकार का यह विचार स्वीकार नहीं था कि भारतीय स्थानीय स्वशासन में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखेंगे। उसका विचार था कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का भारत में उचित ढंग से परीक्षण नहीं किया गया। स्थानीय स्वशासन के कारण जनता को अपना कार्य स्वयं करने का अवसर ही नहीं दिया गया था। उसका विचार था कि स्थानीय संस्थाओं तथा गैर-सरकारी सदस्यों पर अधिक विश्वास किया जाए। इसी विचार से

Scanned by CamScanner

प्रोत्साहित होकर 1882 ई. में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया। उसका यह प्रस्ताव भारत में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इस प्रस्ताव के अनुसार न केवल बड़े-बड़े शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाओं का गठन किया गया वरन् सम्पूर्ण भारत में जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों की स्थापना की गयी। इन स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि विषयों का उत्तरदायित्व दिया गया। इसके साथ ही प्रान्तीय सरकारों को आदेश दिए गए कि वे इन स्थानीय संस्थाओं को एक निश्चित राजस्व सौंप दें।

इन स्थानीय संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की गयी। इन संस्थाओं के अधिकांश सदस्य भी गैर-सरकारी ही होते थे। सरकारी सदस्य एक-तिहाई (1/3) होते थे। यह निश्चय किया गया कि इन स्थानीय संस्थाओं पर कम-से-कम सरकारी नियन्त्रण रखा जाए ताकि वे सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। साथ ही जो कुछ भी सरकारी नियन्त्रण हो वह बाह्य रूप से होना चाहिए न कि आन्तरिक रूप से। लॉर्ड रिपन इन संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण करने के पक्ष में था ताकि ये संस्थाएं भली-भांति कार्य कर सकें। यदि ये संस्थाएं ऋण लेना चाहती थीं अथवा स्वीकृत करों के अतिरिक्त कोई अन्य कर लगाना चाहता थीं तो उन्हें राजकीय स्वीकृति लेना अनिवार्य था। सरकारी कर्मचारी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे। उपर्युक्त सुधारों के कारण ही रिपन को भारत में '**स्थानीय स्वशासन का जनक**' कहा जाता है।

(3) **शिक्षा में सुधार 'हण्टर आयोग'** (Hunter Commission on Education)—लॉर्ड रिपन को भली-भांति ज्ञात था कि बड़ी संख्या में शिक्षित होने पर ही भारतीयों का उत्थान सम्भव है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करने के उद्देश्य से ही उसने 1882 ई. में **सर विलियम हण्टर** की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग को गठित करने का पहला उद्देश्य यह था कि यह आयोग शिक्षा के प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करे तथा 1854 ई. के '**वुड्स डिस्पैच**' (Wood's Despatch) के उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आयोग ने सिफारिश की कि नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों को प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए तथा उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक होने चाहिए। उच्च शिक्षा का कार्य यथासम्भव प्राइवेट संस्थाओं को दे देना चाहिए तथा सरकार उन्हें अनुदान दे। सरकार को धीरे-धीरे स्वयं को इस मुकाबले से हटा लेना चाहिए। यह भी सिफारिश की गयी कि शिक्षा संस्थाओं में नागरिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए क्योंकि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, अतः उसने शिक्षा प्रसार के लिए विशेष कार्य करने की अपील की। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि प्रान्तीय आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। सरकार ने 'हण्टर आयोग' की अनेक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो गयी।

(4) **आर्थिक सुधार** (Financial Reforms)—अपने कार्यकाल में लॉर्ड रिपन ने आर्थिक क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने लॉर्ड मेयो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए समस्त राजस्व को '**इम्पीरियल, प्रान्तीय तथा विभाजित**' (Imperial, Provincial and Divided) तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। इम्पीरियल भाग पर केन्द्र का अधिकार था जबकि प्रान्तीय भाग पर प्रान्तों का अधिकार होता था। विभाजित भाग का केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच विभाजन हो जाता था। **इसके अतिरिक्त रिपन ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का और भी विकास किया।** अनेक वस्तुओं से 5 प्रतिशत कर समाप्त कर दिया गया। केवल राजनीतिक कारणों से शराब, शस्त्रों एवं बारूद आदि वस्तुओं पर ही यह कर रहने दिया गया। नमक कर में भी कमी की गयी थी।

(5) **नागरिक सेवाओं में सुधार** (Civil Service Recruitment)—लॉर्ड रिपन के वायसराय बनने से पूर्व भारतवासियों के लिए भारतीय सिविल सेवा में आना अत्यन्त कठिन था। भारतीयों को यह परीक्षा देने इंग्लैण्ड जाना पड़ता था तथा इसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 19 वर्ष थी। लॉर्ड रिपन ने इंग्लैण्ड के उच्च अधिकारियों को यह परामर्श दिया कि इन परीक्षाओं का आयोजन इंग्लैण्ड के साथ-साथ भारत में भी होना चाहिए लेकिन उसका यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। मगर लॉर्ड रिपन ने प्रत्याशियों की आयु में वृद्धि कराने में सफलता प्राप्त कर ही ली। अब यह आयु 22 वर्ष कर दी गयी जिसके फलस्वरूप भारतीयों का परीक्षा में सम्मिलित होना सरल हो गया।

(6) **फैक्टरी एक्ट** (Factory Act)—लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ई. में प्रथम फैक्टरी एक्ट पारित किया गया, इसके अन्तर्गत सात से बारह वर्ष तक की आयु के बच्चों के काम करने के घण्टे निश्चित कर दिए गए तथा अब उनसे प्रतिदिन अधिक-से-अधिक नौ घण्टे काम लिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उद्योगपतियों को खतरनाक मशीनों के चारों ओर जंगला लगवाने के भी आदेश दिए गए। इस अधिनियम को लागू कराने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी।

(7) **जनगणना** (Census)—लॉर्ड रिपन के आगमन से पूर्व भारतीयों को एक अनियन्त्रित भीड़ समझा जाता था तथा किसी भी वायसराय ने उनकी संख्या का ठीक-ठीक पता लगाना उचित नहीं समझा, परन्तु लॉर्ड रिपन अपने सभी सुधारों को

Scanned by CamScanner

वैज्ञानिक ढंग प्रदान करना चाहता था अतः उसका यह प्रयास भारतीयों का ठीक-ठीक पता लगाने पर ही पूर्ण हो सकता था। **अतः उसकी इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 1881 ई. में प्रथम बार जनगणना की गयी।** लॉर्ड रिपन के इस कार्य से उसकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई।

(8) **इलबर्ट बिल विवाद** (Ilbert Bill Controversy)—लॉर्ड रिपन द्वारा इलबर्ट बिल पारित कराने के प्रयास ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति लाने में विशेष योग दिया। 1873 ई. के फौजदारी दण्ड संहिता (Criminal Procedure Code) के अन्तर्गत किसी भी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। यह पूर्ण रूप से अन्याय था तथा उच्च पदों पर आसीन भारतीयों के लिए असहनीय था। रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अपनी परिषद के विधि सदस्य इलबर्ट (Ilbert) की सहायता के लिए बिल पारित कराने का प्रयास किया। अतः 2 फरवरी, 1883 ई. को एक बिल प्रस्तुत किया गया।

परन्तु जैसे ही बिल प्रस्तुत किया गया उसका घोर विरोध किया गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। यूरोपियनों के इतने कड़े विरोध के आगे रिपन को झुकना पड़ा और यह बिल पास नहीं हो सका। इस बिल के पारित न होने से भारतीयों में निराशा की लहर दौड़ गयी। उन्हें अब अंग्रेजों से किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद न रही लेकिन इससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ।

रिपन का मूल्यांकन (Estimate of Ripon)—रिपन की इतिहासकारों एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत प्रशंसा की है। पं. मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, "**रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान् और प्रिय था।**" फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने रिपन को '**भारत का उद्धारक**' की संज्ञा दी और उसके शासन को '**भारत के स्वर्णयुग का आरम्भ**' कहा। दूसरी ओर अर्नाल्ड व्हाइट (Arnold White) ने कहा कि उसने '**भारत के खो जाने के द्वार खोल दिए।**' रिपन भारतीयों में बहुत लोकप्रिय था और भारतीय उसे '**सज्जन रिपन**' (Ripon the good and birtuous) के नाम से स्मरण करते थे। रिपन यद्यपि अधिक बौद्धिक तथा प्रशासकीय क्षमता वाला व्यक्ति नहीं था, किन्तु फिर भी उसके कार्यों ने उसे भारतीयों में लोकप्रिय बनाया। रिपन स्वभाव से ही उदारवादी था तथा उसकी विचारधारा अन्य गवर्नर जनरलों से भिन्न थी।

Scanned by CamScanner

वैज्ञानिक ढंग प्रदान करना चाहता था अतः उसका यह प्रयास भारतीयों का ठीक-ठीक पता लगाने पर ही पूर्ण हो सकता था। **अतः उसकी इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 1881 ई. में प्रथम बार जनगणना की गयी।** लॉर्ड रिपन के इस कार्य से उसकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई।

(8) **इलबर्ट बिल विवाद** (Ilbert Bill Controversy)—लॉर्ड रिपन द्वारा इलबर्ट बिल पारित कराने के प्रयास ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति लाने में विशेष योग दिया। 1873 ई. के फौजदारी दण्ड संहिता (Criminal Procedure Code) के अन्तर्गत किसी भी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। यह पूर्ण रूप से अन्याय था तथा उच्च पदों पर आसीन भारतीयों के लिए असहनीय था। रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अपनी परिषद के विधि सदस्य इलबर्ट (Ilbert) की सहायता के लिए बिल पारित कराने का प्रयास किया। अतः 2 फरवरी, 1883 ई. को एक बिल प्रस्तुत किया गया।

परन्तु जैसे ही बिल प्रस्तुत किया गया उसका घोर विरोध किया गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। यूरोपियनों के इतने कड़े विरोध के आगे रिपन को झुकना पड़ा और यह बिल पास नहीं हो सका। इस बिल के पारित न होने से भारतीयों में निराशा की लहर दौड़ गयी। उन्हें अब अंग्रेजों से किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद न रही लेकिन इससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ।

रिपन का मूल्यांकन (Estimate of Ripon)—रिपन की इतिहासकारों एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत प्रशंसा की है। पं. मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, "**रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान् और प्रिय था।**" फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ने रिपन को '**भारत का उद्धारक**' की संज्ञा दी और उसके शासन को '**भारत के स्वर्णयुग का आरम्भ**' कहा। दूसरी ओर अर्नाल्ड व्हाइट (Arnold White) ने कहा कि उसने '**भारत के खो जाने के द्वार खोल दिए।**' रिपन भारतीयों में बहुत लोकप्रिय था और भारतीय उसे '**सज्जन रिपन**' (Ripon the good and birtuous) के नाम से स्मरण करते थे। रिपन यद्यपि अधिक बौद्धिक तथा प्रशासकीय क्षमता वाला व्यक्ति नहीं था, किन्तु फिर भी उसके कार्यों ने उसे भारतीयों में लोकप्रिय बनाया। रिपन स्वभाव से ही उदारवादी था तथा उसकी विचारधारा अन्य गवर्नर जनरलों से भिन्न थी।

लॉर्ड कर्जन (1898 ई.- 1905 ई.)
(LORD CURZON)

लॉर्ड कर्जन 1898 ई. में वायसराय नियुक्त होकर भारत आया। विद्यार्थी जीवन से ही वह वायसराय बनने के स्वप्न देखा करता था। लॉर्ड कर्जन अत्यन्त परिश्रमी तथा योग्य प्रशासक था। 1898 ई. से 1905 ई. तक उसने भारत के वायसराय के पद पर कार्य किया। उसके आगमन के साथ भारत में सुधारों का एक नया युग आरम्भ होता है। उसने प्रशासनिक ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। यथार्थ में डलहौजी के बाद किसी भी वायसराय ने इतने सुधार नहीं किए जितने लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिन्होंने उसके सुधारों पर पानी फेर दिया तथा उनके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के कारण जनता लॉर्ड कर्जन की विरोधी हो गयी। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं :

(i) **अकाल तथा प्लेग**—जिस समय लॉर्ड कर्जन ने भारत के वायसराय का पद संभाला उस समय तक भारत की जनता लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में पड़ने वाले अकाल तथा प्लेग की महामारी के संकटों से अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई थी कि 1897-98 ई. के अकाल से भी भीषण 1899-1900 ई. के अकाल का सामना करना पड़ा। अल्पकाल में ही केवल ब्रिटिश भारत के लगभग 19 लाख व्यक्ति काल के ग्रास बन गए। लॉर्ड कर्जन ने अकाल से पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करके देश तथा विदेश से सहायता की अपील की। लॉर्ड मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग की सिफारिश पर कालान्तर में अकाल की रोकथाम करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली कार्य किए गए। कर्जन ने इस आयोग की अनेक सिफारिशों को स्वीकार करके सहकारी समितियों की स्थापना की तथा कृषि उत्पादनों में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए। अतः लॉर्ड कर्जन सुधार एवं राहत कार्यों से 1901 ई. के उपरान्त कुछ समय तक अकाल से मुक्ति मिल गयी, परन्तु कर्जन के सम्पूर्ण कार्यकाल में प्लेग की महामारी का प्रकोप बना रहा। उसके भारत से जाने के समय तक लगभग 9,00,000 लाख व्यक्ति प्लेग के शिकार हो चुके थे।

(ii) **कृषि-सम्बन्धी सुधार** (Reforms in agriculture)—देश में पड़ने वाले अकालों के कारण कृषि के महत्व में पर्याप्त वृद्धि हो गयी थी अब तक कृषि भी एक प्रकार से उपेक्षित थी। वह मात्र आय का साधन थी अतः वैज्ञानिक ढंग से कृषि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने एक वैज्ञानिक के समान कृषि समस्या का समाधान कर उसमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए :

(1) **पंजाब भूमि हस्तान्तरण अधिनियम, 1900 ई.** (Punjab Land Alienation Act, 1900)—कृषि दशा में सुधार हेतु लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम 1900 ई. में पंजाब भूमि हस्तान्तरण अधिनियम पारित करके यह निश्चित किया कि कोई अकृषक वर्ग का व्यक्ति, किसी भी कृषक की भूमि नहीं खरीद सकता था। कृषक वर्ग अपनी भूमि को 20 वर्ष से अधिक रहन नहीं रख सकता था तथा ऋण की अदायगी में किसी भी स्थिति

Scanned by CamScanner

में भूमि नीलाम नहीं की जा सकती थी। इस कानून ने एक ओर तो कृषक वर्ग को महाजनों के चंगुल से मुक्ति दिला दी तथा दूसरी ओर सेना पर पड़ने वाले दूषित प्रभाव को भी रोक दिया क्योंकि पंजाब की सेना में अधिकांशतः कृषक वर्ग के ही व्यक्ति थे।

(2) **कृषि बैंक** (Agricultural Bank)—किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से कृषि बैंक स्थापित किए गए ताकि कृषकों को कम ब्याज पर धन ऋण के रूप में मिल सके। इन बैंकों ने शनैः-शनैः महाजनों का स्थान ग्रहण कर लिया।

(3) **सहकारी ऋण समितियां** (Co-operative Credit Societies)—कृषक वर्ग में अपनी सहायता स्वयं करने तथा आत्म-विश्वास की भावनाएं जाग्रत करने के विचार से सहकारी समितियों की स्थापना की गयी। 1904 ई. में 'सहकारी ऋण समिति कानून' का एक विशेष अधिनियम पारित करके ग्रामों में सहकारी समितियों की स्थापना की गयी।

(4) **कृषि विभाग की स्थापना** (Imperial Department of Agriculture)—1901 ई. में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य यह था कि अब सरकार कृषि की ओर भली प्रकार ध्यान दे सके। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इंस्पैक्टर जनरल था।

(5) **कृषि अनुसन्धान संस्थान की स्थापना** (Agriculture Research Institute)—लॉर्ड कर्जन की इच्छा थी कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू किया जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने बंगाल में पूसा (Pusa) नामक स्थान पर एक 'कृषि अनुसन्धान संस्थान' को कृषि के क्षेत्र में अनुसन्धान करने तथा कृषि की दशा में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों हेतु कार्य सौंपा।

(6) **सिंचाई सुविधाएं** (Irrigation Facilities)—भारतीय सिंचाई समस्याओं पर विचार करने हेतु 1901 ई. में एक आयोग नियुक्त किया गया। 1903 ई. में इस आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की कि आगामी 20 वर्षों में सिंचाई पर लगभग 44 करोड़ रुपया व्यय किया जाए। अतः इस आयोग की सिफारिशों पर अनेक नहरों का निर्माण किया गया।

(7) **लगान एकत्रित करने में अधिक लचीलापन**—राजकीय कर्मचारी अकाल के समय में भी कृषकों से अत्यन्त कठोरता से लगान वसूल करते थे। 1902 ई. में एक प्रस्ताव पारित करके सुझाव दिया गया कि अकाल के समय अथवा सूखा पड़ने की स्थिति में लगान कम कर देना चाहिए तथा उसे इतनी कठोरता से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "**सरकार की मांग मौसम की प्रकृति के अनुसार बदलती रहनी चाहिए।**"

(iii) **आर्थिक सुधार** (Financial Reforms)—(1) प्रशासनिक क्षेत्र में तो कर्जन ने केन्द्रीकरण की नीति का अनुसरण किया, परन्तु आर्थिक क्षेत्र में उसने अपने पूर्वगामी वायसरायों की विकेन्द्रीकरण की नीति का ही अनुसरण किया। राजस्व में से प्रत्येक प्रान्त का भाग निश्चित कर दिया गया तथा प्रान्तीय बचत को प्रान्तीय सरकार के पास रखने का फैसला किया गया।

(2) एक विशेष एक्ट पारित करके अंग्रेजी पौण्ड को भी भारत में सरकारी सिक्का स्वीकार किया गया। विनिमय की दर 15 रुपए प्रति पौण्ड निश्चित की गयी।

(3) अभी तक 500 रुपए वार्षिक आय वालों को आय कर देना होता था अब निर्णय किया गया कि 1,000 रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्ति ही आयकर देंगे।

(4) नमक कर में पुनः कमी की गयी।

(iv) **रेलवे** (Railways)—अकाल आयोग ने 1901 ई. में अपनी रिपोर्ट में रेलों पर विचार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी कारण लॉर्ड कर्जन ने इस ओर भी ध्यान दिया। उसने सर थामस राबर्ट्सन नामक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करके उसके परामर्श पर अनेक कार्य किए। इससे पूर्व रेलवे का कार्य कुछ कम्पनियां या सार्वजनिक निर्माण विभाग करता था। लेकिन कर्जन ने 1905 ई. में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड के प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 28,150 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछायी गयी। लॉर्ड कर्जन के त्याग-पत्र देने के समय भी लगभग 3,167 मील लम्बी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। इससे व्यापार में काफी सुगमता हो गयी।

(v) **प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम** (Ancient Monument Protection Act)—कर्जन ने प्राचीन भवनों की सुरक्षा के लिए प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा प्राचीन स्मारकों को हानि पहुंचाना कानूनी अपराध घोषित किया गया। इस कार्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिए 1904 ई. में '**पुरातत्व विभाग**' (Archaeological Department) स्थापित किया गया। इस विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा हो सकी तथा वे नष्ट होने से बच गए। अनेक स्थानों पर खुदाई का कार्य भी किया गया जिससे भारतीय इतिहास की बिखरी शृंखलाओं को जोड़ा जा सके।

(vi) **पुलिस सुधार** (Police Reforms)—लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1902 ई. में फ्रेचर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया। इस आयोग को प्रत्येक प्रान्त की पुलिस व्यवस्था का अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। इस आयोग ने पुलिस व्यवस्था में अनेक दोष पाए और कहा कि "**पुलिस बल में**

Scanned by CamScanner

कार्यकुशलता बिल्कुल नहीं है। इसको प्रायः भ्रष्ट तथा अन्यायी समझा जाता है तथा यह जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है।''

पुलिस व्यवस्था में सुधार करने हेतु इस आयोग ने अनेक सुझाव दिए अतः इन सुझावों को स्वीकार कर पुलिस व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए।

(vii) **सैन्य सुधार** (Military Reforms)—लॉर्ड कर्जन ने सेना में भी अनेक सुधार किए। देशी सेनाओं को फिर से अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया गया। तोपखाने के सैनिकों को अधिक अच्छी बन्दूकें देने की व्यवस्था की गयी। 1901 ई. में कर्जन ने '**इम्पीरियल कैडेट कोर**' (Imperial Cadet Core) की स्थापना की। यह देशी राजकुमारों तथा कुलीन वंशीय सैनिकों की सेना थी। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय सेनाओं का विदेशों में भी प्रयोग किया गया तथा समुद्र तट की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी लेकिन बाद में कर्जन के तत्कालीन प्रधान सेनापति लॉर्ड किचनर से विवाद हो जाने पर सेना में सुधार-सम्बन्धी कार्यों में कमी आ गयी।

(viii) **व्यापार तथा व्यापारिक सुधार**—जहां एक ओर व्यापार तथा उद्योगों के विकास के लिए रेलों का जाल बिछाया गया वहीं दूसरी ओर '**व्यापार तथा उद्योग विभाग**' (Department of Commerce & Industry) की भी स्थापना की गयी। वायसराय की परिषद के छः वरिष्ठ सदस्य इस विभाग की देखभाल करते थे। इस विभाग की स्थापना के फलस्वरूप कारखानों की स्थापना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई तथा व्यापार की भी विशेष उन्नति हुई।

(ix) **प्रशासनिक सुधार** (Administrative Reforms)—लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष पाए। इन दोषों के कारण अनेक महत्वपूर्ण विषय लम्बे समय तक या तो फाइलों में ही पड़े रहते थे अथवा एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर काटते रहे थे जिससे किसी भी विषय का निर्णय नहीं होता था। लॉर्ड कर्जन ने इन दोषों को दूर किया तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को टिप्पणी लिखने के स्थान पर परस्पर मिलकर निर्णय कर लेने का परामर्श दिया। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता आयी तथा समस्त कार्य शीघ्रता से होने लगे। शासन कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से ही राजकीय कर्मचारियों को अवकाश-सम्बन्धी अनेक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनके वेतन में भी वृद्धि की गयी।

(x) **शैक्षिक सुधार** (Educational Reforms)—लॉर्ड कर्जन ने एक '**विश्वविद्यालय आयोग**' का गठन किया। इसका अध्यक्ष सर थामस रैले था। 1902 ई. के अन्त में इस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, परन्तु लॉर्ड कर्जन ने इन विरोधों की परवाह न करते हुए 1904 ई. में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' पारित किया।

(xi) **कलकत्ता निगम पर राजकीय नियन्त्रण** (Govt. Control on Calcutta Corporation Act)—लॉर्ड कर्जन का स्थानीय स्वशासन में जरा भी विश्वास नहीं था अतः वह यथासम्भव सार्वजनिक निर्माण विभाग को समाप्त करने का प्रयास करने लगा। यथार्थ में कर्जन के आने से पूर्व रिपन के विरोधी तत्व इस पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे थे तथा उन्होंने कलकत्ता निगम के अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से बंगाल की विधान सभा में एक बिल प्रस्तुत किया था। इस बिल में कलकत्ता निगम के अधिकार को कार्यकारिणी को सौंप देने का प्रस्ताव अवश्य था, परन्तु इसमें मनोनीत सदस्यों के बहुमत को बनाए रखा गया था। कर्जन ने इस बिल का अध्ययन करके उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा 1900 ई. में इसे पारित कर दिया। इस संशोधन के अनुसार कलकत्ता नगर निगम के सदस्यों की संख्या घटाकर 75 के स्थान पर 50 कर दी गयी। 25 वही सदस्य कम किए गए जो जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। इस प्रकार कलकत्ता नगर निगम में मनोनीत सदस्यों का बहुमत हो गया अतः वह एक आंग्ल भारतीय संस्था बनकर रह गयी थी।

जनता ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया। कलकत्ता में विशाल आन्दोलन हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा कुछ अन्य नेताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1923 ई. में इस अन्याय को समाप्त कर दिया गया।

(xii) **बंगाल-विभाजन तथा उसका विरोध**—इस समय बंगाल प्रान्त बहुत विशाल था। इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ तथा क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील था। इतने विशाल प्रान्त की देखभाल करना लैफ्टीनेण्ट गवर्नर के लिए सम्भव नहीं था। अतः इसी उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल-विभाजन की योजना बनायी और 1905 ई. में बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। असम तथा बंगाल के लगभग 15 पूर्वी जिलों को मिलाकर '**पूर्वी बंगाल तथा असम**' नाम से एक नया प्रान्त बनाया गया। इस नए प्रान्त की राजधानी ढाका थी। इस प्रान्त में मुसलमान अधिक थे तथा हिन्दू जनता की संख्या कम थी।

भारतीय जनता ने बंगाल-विभाजन का कड़ा विरोध किया। इस विरोध ने राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। **भारतीय जनता का विचार था कि बंगाल का विभाजन बंगालवासियों की राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए किया गया है। वह इसे अंग्रेजों का एक षड्यन्त्र मानती थी।** इस कड़े विरोध के बावजूद भी कर्जन ने बंगाल-विभाजन को वापस नहीं लिया।

परन्तु भारतीय जनता बंगाल-विभाजन का निरन्तर विरोध करती रही अतः 1911 ई. में दिल्ली दरबार के अवसर पर ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम के काल में बंगाल-विभाजन को समाप्त कर दिया गया।

Scanned by CamScanner